

२। प्रारूप-२

भाग-१ (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण : जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानी शीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई ९.३०० किमी० में पड़नेवाली ४.९०५ है० वनभूमि का लो०नि�०वि० को हस्तान्तरण

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव

/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण। - ..

पाताल भुवनेश्वर दौला नानी शीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग का निर्माण

ख) १:५०,००० स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

संलग्न है।

रु० २०४.७५ लाख

एक मात्र नजदीकी समरेखण है।

लागू नहीं

स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में ला पायेगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

| | | |
|----------------|-------|-----|
| आरक्षित वनभूमि | 1.440 | है० |
| राज्य वनभूमि | 1.485 | है० |
| वन पंचायत भूमि | 1.980 | है० |
| नापभूमि | 3.465 | है० |
| योग | 8.370 | है० |

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

नहीं

क) परिवारों की संख्या

नहीं

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

नहीं

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

नहीं

3. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/ नहीं)

नहीं

4. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की व्यवस्था (व्यवस्था संलग्न की जाये)

संलग्न है।

5. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक: ५.८.२०२१ स्थान बेरीनाग

जी०के०स्त्विन्दा

5-८-२०२१

प्रयोक्ता एजेन्सी अधिकारी

नाम: सोनू

पर्सनल अध्यक्ष, लो०नि�०वि०

दिवारी वाल (पिथौरागढ़)

संजय नर्सी

५.८.२०२१

सहायक अधिकारी
अ० ख० ल० न० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

२। प्रारूप-३

भाग-२ (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानी पीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई ९.३०० किमी ० में पड़नेवाली ४.९०५ हेठो वनभूमि का लो००१०विं को हस्तान्तरण

| | |
|-----------------------------|------------|
| (i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| (ii) जिला | पिथौरागढ़ |
| (iii) जिला वन प्रभाग | पिथौरागढ़ |

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - ४.९०५ हेठो

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: - संलग्न है,

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: संलग्न है,

(i) वन का प्रकार - ठार्डिङ वन भूमि, वन पेंचायत, राउच वन भूमि.

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व - Eco Class - V

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणना - ३०२-३७४

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. मूक्तरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणि - मूक्तरण की संभावना नहीं है

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : - संलग्न है।/लागू नहीं

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : - संलग्न है।/लागू नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गतियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गतियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) लागू नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गतियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित नहीं की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) संलग्न है।

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : अपरिहार्य

(i) क्या भाग- १ के पैरा ६ और पैरा ७ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। संलग्न है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिष किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। संलग्न है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/ नहीं) लागू नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथ्ति। संलग्न है.

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं। संलग्न है,

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्धित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। संलग्न है,

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। संलग्न है.

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। संलग्न है.

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों संलग्न है.

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। संलग्न है.

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है। संलग्न है.

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

शुभं

स्थान: बेरीनाग

तारीख: 25/9/2021

कु० चन्द्रामहरा

10-8-21

दन्तोत्तराधिकारी

बेरीनाग

विजयकुमारभार्गव
प्रमाणीय वन विभाग
हस्ताक्षर : नाम प्रमाण
प्रियोरामड

Pd. 25-9-2021